

संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल



Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
08/2018-19



विषय: सिगनलों को वापस लेने की कार्यविधी – संबंधित
अनुदेशों का सार.

Sub:-Procedure for putting back signals-Extract of
relevant instructions.

दिनांक/Date : 29.08.2018

मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक

सं.सोला/एसएफटी/एस/103

संरक्षा शाखा, सोलापुर

दिनांक: 29.08.2018

संरक्षा परिपत्र : 08 /2018-19

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- सिगनलों को वापस लेने की कार्यविधि - संबंधित अनुदेशों का सार.

स.नि.3.36-2

- (क) सामान्यतया जब किसी गाड़ी को जाने के लिये एक बार सिगनल ऑफ कर दिये गये हों तो उन्हें ऑन स्थिति में तब तक नहीं लाना चाहिए जब तक कि पूरी गाड़ी न निकल गयी हो। यदि आपात कालीन स्थिति में गाड़ी निकलने के पूर्व सिगनल को ऑन स्थिति में लाना हो तो उसके लिए लगाये गये कॉटों को तब तक नहीं बदलना चाहिये, जबतक कि गाड़ी पूर्ण रूप से खड़ी न हो गयी हो। हालाँ कि अत्यन्त आपात कालीन परिस्थिति में कॉटों को भी दुर्घटना टालने हेतु बदला जा सकता है।
- (ग) यदि किसी गाड़ी के प्रस्थान के लिए अर्थात् रुकने के बाद स्टेशन से छूटने वाली गाड़ी के प्रस्थान के लिए प्रस्थान तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनलों (एडवांस स्टार्टर) को ऑफ कर दिया गया हो और यदि किसी अन्य गाड़ी के संचालन (अग्रता या क्रासिंग) के लिए उन्हें ऑन करने की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित पूर्व सावधानियां अवश्य जाएं -
- संबंधित प्रस्थान तथा अग्रिम सिगनलों को पुनः ऑन स्थिति में कर दिया जाए । इसके पश्चात गाड़ी के लोको पायलट को जिसकी गाड़ी के लिए सिगनलों को ऑफ किया गया था, कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर/उप स्टेशन अधीक्षक द्वारा संचार के सुरक्षित साधनों (एम.टी.आर.सी. इत्यादि) के द्वारा सूचित किया जाए कि सिगनलों को ऑन कर दिया गया है और वह गाड़ी प्रारंभ न करे।
 - इकहरी लाइन सेक्शन में यदि लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार सौंप दिया गया हो तो उसे वापस ले लेना चाहिए।
 - जब कभी एम.टी.आर.सी. दत्यादि के रूप में संचार का सुरक्षित साधन उपलब्ध न हो तो लोको पायलट को लिखित मेमो के द्वारा सूचित किया जाए कि सिगनलों को 'ऑन' कर दिया गया है और वह गाड़ी प्रारंभ न करे।
 - जब तक लोको पायलट को संचार के सुरक्षित साधनों या लिखित मेमो के द्वारा सूचित न कर दिया जाये और उससे पावती प्राप्त न हो जाये, तब तक दुर्घटना को टालने के अलावा सैट किए गये रुट में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये।
- सभी संबंधित कृपया नोट करें और तदनुसार कार्य करें

(सुरेश कुमार एन.टी)

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी सोलापुर